**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोकसभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 441**
**दिनांक 03 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी**

**441. श्री महेश साहू:**
**श्री एम. बदरुद्दीन अजमल:**
**कुंवर दानिश अली:**
**श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा:**
**डॉ. उमेश जी. जाधव:**
**डॉ. जयसिद्देश्वर शिवाचार्य स्वामीजी:**
**श्री तेजस्वी सूर्या:**
**श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:**
**श्रीमती गोमती साय:**

**क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार को उन रिपोर्टों की जानकारी है जो बताती हैं कि देश में डाक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की भारी कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात, अस्पताल बिस्तर-रोगी अनुपात और नर्स-रोगी अनुपात का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कितने चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की आवश्यकता है और सरकार द्वारा विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात, अस्पताल बिस्तर- रोगी अनुपात और नर्स-रोगी अनुपात को बढ़ाने के लिए किए गए एवं सक्रिय उपायों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जैसा कि सिफारिश की गई है और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएन के स्वास्थ्य सूचकांकों और मानदंडों के अनुरूप है;

(घ) क्या सरकार ने जमीनी स्तर पर डाक्टरों और विशेषज्ञों की ऐसी कमी को दूर करने और देश में द्वितीयक और तृतीयक स्तर के अस्पतालों पर बोझ को कम करने के लिए कोई स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है अथवा कोई कार्ययोजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड) देश में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने देश में स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)**

(क) से (च): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, जून, 2022 की स्थिति के अनुसार राज्य चिकित्सा परिषदों और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) में 13,08,009 एलोपैथिक डॉक्टर पंजीकृत हैं। यह मानते हुए कि 80% पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर और 5.65 लाख आयुष डॉक्टर उपलब्ध हैं, देश में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:834 है। इसके अलावा, देश में 35.14

लाख पंजीकृत नर्सिंग कर्मी हैं, जो प्रति 1000 जनसंख्या पर 2.06 नर्सों के जनसंख्या अनुपात में एक नर्स हैं और देश में 13 लाख संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवर हैं।

सरकारी अस्पतालों में आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवर और पर्याप्त संख्या में बिस्तरों की उपलब्धता की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल (एनएचपी), 2021 में प्रकाशित सूचना के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध बिस्तरों का विवरण यूआरएल https://www. .cbhidghs.nic.in/showfile.php?lid=1160 पर पृष्ठ संख्या 417, तालिका संख्या 6.2.2 पर उपलब्ध है ।

सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की है और बाद में एमबीबीएस सीटों में वृद्धि की है। मेडिकल कॉलेजों में 2014 से पहले के 387 सीटे से अब 654 तक 69% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, एमबीबीएस सीटों में 2014 से पहले की 51348 सीटों से अब तक 99763 सीटों तक 94% की वृद्धि हो गई है और पीजी सीटों में 2014 से पहले की 31185 सीटों से बढ़कर अब 64559 सीटों तक 107% की वृद्धि हो गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है ताकि पूरे देश में साम्य, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान की जा सके। जन स्वास्थ्य परिचर्या केंद्रों के लिए डॉक्टरों और विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए राज्यों को लचीले मानदंड अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीआईएम) का उद्देश्य उप-स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों, ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों, एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समर्थन करना है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) देश के लिए एक इंटरऑपरेबल डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास करता है और 31.01.2023 तक, 32.12 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (एबीएचए) बनाए गए हैं।

आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) प्रति वर्ष प्रति परिवार 5.00 लाख रुपये तक के 10.74 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है और 29.01.2023 तक 22.87 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं.

आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) योजना में 01.02.2023 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और कुल एचडब्ल्यूसी प्राप्त करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) में बदलकर 156414 को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और स्वास्थ्य पेशेवरों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र/केंद्र प्रायोजित योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' और नए एम्स की स्थापना और मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए पीएमएसएसवाई शामिल हैं। 'नर्सिंग सेवाओं का विकास' स्कीम के अंतर्गत राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं ताकि वे नर्सिंग स्कूलों को नर्सिंग कॉलेजों में स्तरोन्नत कर सकें।

*****